डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/790/13
दिनांक:...08-04-2013

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक
पं0 लक्ष्मी नारायण मेमोरियल महाविद्यालय
घरबरा, टप्पल
अलीगढ।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याःसम्ब0-439/सत्तर-2-2012-2(481)/2011 दिनांक 24 सितम्बर, 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007) की धारा-37 (2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम/विषयों में दिनांक 01.07.2012 से उक्त पत्र में उल्लिखित दो शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2012 में उल्लिखित शर्तों को निरन्तर पूर्ण करता रहेगा।

(1) संस्था शासनादेश संरव्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिरवित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वार्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नही करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः-

1- अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा ।
3- निजी सचिव कुलपति ।
4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर,बालूगंज, आगरा ।
5- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांकः 01-10-14
संख्याःएफिल/वी0सी0/ 2248

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
पं0 लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़

विषयः- पं0 लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक संख्या0-1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत पं0 लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

<u>शिक्षक अनुमोदित नहीं नहीं</u>

यह सम्बद्धता (सत्र 2014-15 से) दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी :-

(1) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/ 199/2016
दिनांकः...2-4-2016

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़।

विषयः- पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0(अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0(अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

प्राचार्य(पी0जी0) स्तर/शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, **अग्निशमन प्रमाण पत्र कालातीत हो चुका हैं**।

यह सम्बद्धता (सत्र 2015-16 से) दिनांक 01.07.2015 से दो वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी :-

(1) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से छः माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य की चयन समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया छः माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(3) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(4) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(5) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(6) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्त कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(7) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(8) संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(9) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 -।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
7. वेबसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/ 4115(167) /2017

दिनांक 26 SEP 2017

153

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़

विषयः- पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को विज्ञान एवं वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (बायो/मैथ) एवं बी0काम0 पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या—एफिल/वी0सी0/2231 दिनांक 01.10.2014 एवं एफिल/वी0सी0/2248 दिनांक 01.10.2014 के द्वारा **पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़** को **विज्ञान एवं वाणिज्य** संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (बायो/मैथ) एवं बी0काम0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत 01.07.2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान किया जाना सूचित किया गया था।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार **पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़** को विज्ञान एवं वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (बायो/मैथ) एवं बी0काम0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है। यह सम्बद्धता बी0एससी0 (बायो/मैथ) एवं बी0काम0 पाठ्यक्रम में (सत्र 2017—18) दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2018 तक (एक वर्ष) के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :—

1. प्रबंन्ध समिति कालातीत हो चुकी हैं। 2. शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं। 3. नकल विहीन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं। 4. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।

(1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कमियों के साथ—साथ दिनांक 30.06.2018 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।

(2) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार **सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्राजात जमा करायें अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।** इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) **महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुचिता बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षों तथा परीक्षा नियंन्त्रक कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगने का प्रमाण विश्वविद्यालय में प्रेषित किया जाये।**

(4) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(5) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(6) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(7) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(10) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(11) संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(12) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 -।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेड्कर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. **सचिव/प्रबन्धक, पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़।**
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
7. वेबसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेड्कर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/ 5054(6) /2018
दिनांक: 22 FEB 2018

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़

विषय:- पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 (अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–सम्बद्धन/199/2016 दिनांक 24.02.2016 के द्वारा **पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़** को **कला** संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 (अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत 01.07.2015 से आगामी दो वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान किया जाना सूचित किया गया था।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार **पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़** को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 (अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तो के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है। यह सम्बद्धता **एम0ए0 (अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रमों** में (सत्र 2017–18) दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2018 तक (एक वर्ष) के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगी :–

1. प्रबंन्ध समिति कालातीत हो चुकी हैं, 2. शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं, 3. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कम हैं, 4. निरीक्षण मंण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या पुराने प्रपत्र पर दी गयी हैं, 5. अग्निशमन प्रमाण पत्र कालातीत हो चुका हैं।

(1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कमियों के साथ–साथ दिनांक 30.06.2018 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।

(2) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार **सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्राजात जमा करायें अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।** इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) **महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुचिता बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षों तथा परीक्षा नियन्त्रक कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगने का प्रमाण विश्वविद्यालय में प्रेषित किया जाये।**

(4) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(5) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(6) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(7) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(10) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(11) संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(12) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 -।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. **सचिव/प्रबन्धक, पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़।**
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
7. वेवसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव

76

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन / 11765 / 19

दिनांकः– 31.12.2019

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य

पं0 लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़

विषयः– पं0 लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को शिक्षा संकाय संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–सम्बद्धन / 1817 / 17 दिनांक 12.05.2017 के द्वारा दो वर्ष तथा पत्र संख्या सम्ब0 / 7145 दिनांक 25-08-2018 के द्वारा (वर्ष 2018–19) **पं0 लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़** को **शिक्षा संकाय** संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर **एम0एड0** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2018 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता विस्तारण करना सूचित किया गया था।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार पं0 **लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़** को **शिक्षा संकाय** संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर **एम0एड0 पाठ्यक्रम** में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश के (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तो के अधीन यह सम्बद्धता विस्तारण (सत्र 2019–20) दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 तक (एक वर्ष) के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :–

1. शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं। 2. शिक्षक मानकानुसार पूर्ण नहीं हैं।

(1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कमियों के साथ–साथ दिनांक 30.06.2020 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक अवश्य पूर्ण करें।

(2) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार **सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों (जिसमें विश्वविद्यालय से शिक्षकों का अनुमोदन प्रत्येक दशा में अनिवार्य है) को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्रजात जमा करायें अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र (2020–21) में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा जबतक सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त न कर लिया जाये।** इसी कम में रिट याचिका संख्या 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) **महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों के संविदा पत्र तीन प्रति निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एक प्रति विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।**

(4) **महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुचिता बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षों तथा महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण कक्ष (Control Room) में सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं बायोमैट्रिक मशीन लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगने का प्रमाण एवं आई0पी0 एड्रेस कुलपति सचिवालय में (शील्ड लिफाफे) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

(5) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक / प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रकिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(6) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्रावधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(7) संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम की धारा 12.22 के अन्तर्गत 15 अगस्त, 2020 तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(9) महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2218 / सत्तर–2–2011–16(409) / 2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(10) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख / सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्त कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(11) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा तथा संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगा तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(12) संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(13) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0–।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 आंबेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
6. **सचिव / प्रबन्धक, पं0 लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़**
7. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
8. वेबसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 आंबेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. उप / सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन / परीक्षा)।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांकः 01-10-14
संख्याःएफिल/वी0सी0/ 2231

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
पं0 लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़

विषयः- पं0 लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या सम्ब0-1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत पं0 लक्ष्मीनारायण मेमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

शिक्षक अनुमोदित नहीं

यह सम्बद्धता (सत्र 2014-15 से) दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी :-

(1) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(2) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

15

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/11764/19
दिनांकः– 31.12.2019

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़

विषयः– पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 (अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–सम्बद्धन/199/2016 दिनांक 24.02.2016 के द्वारा दो वर्ष एवं पत्र संख्या सम्ब0/5054¼06½@2018 दिनांक 22.02.2018 के द्वारा (वर्ष 2017–18) तथा पत्र संख्या सम्ब0/7457 दिनांक 25.08.2018 के द्वारा (वर्ष 2018–19) **पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़** को **कला** संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर **एम0ए0 (अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र)** पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2018 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता विस्तारण करना सूचित किया गया था।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार **पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़** को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर **एम0ए0 (अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम में** स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश के (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता विस्तारण (सत्र 2019–20) दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 तक (एक वर्ष) के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :–
1. प्रबंध समिति कालातीत हो चुकी हैं। 2. शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं। 3. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कम हैं।

(1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कमियों के साथ–साथ दिनांक 30.06.2020 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक अवश्य पूर्ण करें।

(2) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार **सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों (जिसमें विश्वविद्यालय से शिक्षकों का अनुमोदन प्रत्येक दशा में अनिवार्य है) को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्रजात जमा करायें अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र (2020–21) में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा जबतक सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त न कर लिया जाये।** इसी कम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) **महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों के संविदा पत्र तीन प्रति निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एक प्रति विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।**

(4) **महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुचिता बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षों तथा महाविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रण कक्ष (Control Room) में सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं बायोमैट्रिक मशीन लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगने का प्रमाण एवं आई0पी0 एड्रेस कुलपति सचिवालय में (शील्ड लिफाफे) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

(5) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रकिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(6) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(7) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम की धारा 12.22 के अन्तर्गत 15 अगस्त, 2020 तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(9) महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2218/सत्तर–2–2011–16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(10) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्त कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(11) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा तथा संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगा तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(12) संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(13) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0–।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
6. **सचिव/प्रबन्धक, पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़**
7. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
8. वेबसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 आंबेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. उप/सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन/परीक्षा)।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/11763/19

दिनांकः– 31.12.2019

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़

विषयः– पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को विज्ञान एवं वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (बायो/मैथ) एवं बी0काम0 पाठ्यकम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–एफिल/वी0सी0/2231 दिनांक 01.10..2014 के द्वारा तीन वर्ष एवं पत्र संख्या सम्ब0/4115¼167½@2017 दिनांक 26.09.2017 के द्वारा (वर्ष 2017–18) तथा पत्र संख्या सम्ब0/9950(11) दिनांक 29.05.2019 के द्वारा (वर्ष 2018–19) **पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़** को **विज्ञान एवं वाणिज्य** संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0एससी0 (बायो/मैथ)** एवं **बी0काम0** पाठ्यकम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2018 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता विस्तारण करना सूचित किया गया था।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार **पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़** को **विज्ञान एवं वाणिज्य** संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर **बी0एससी0 (बायो/मैथ) एवं बी0काम0 पाठ्यकम** में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश के (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता विस्तारण (सत्र 2019–20) दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 तक (एक वर्ष) के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :–

1. प्रबंन्ध समिति कालातीत हो चुकी हैं। 2. शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं। 3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।

(1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कमियों के साथ–साथ दिनांक 30.06.2020 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक अवश्य पूर्ण करें।

(2) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार **सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों (जिसमें विश्वविद्यालय से शिक्षकों का अनुमोदन प्रत्येक दशा में अनिवार्य है) को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्रजात जमा करायें अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र (2020–21) में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा जबतक सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त न कर लिया जाये।** इसी कम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) **महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों के संविदा पत्र तीन प्रति निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एक प्रति विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।**

(4) **महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुचिता बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षों तथा महाविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रण कक्ष (Control Room) में सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं बायोमैट्रिक मशीन लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगने का प्रमाण एवं आई0पी0 एड्रेस कुलपति सचिवालय में (शील्ड लिफाफे) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

(5) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रकिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(6) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(7) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम की धारा 12.22 के अन्तर्गत 15 अगस्त, 2020 तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(9) महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2218/सत्तर–2–2011–16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(10) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्त कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(11) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा तथा संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगा तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(12) संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(13) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0–।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 आंबेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
6. **सचिव/प्रबन्धक, पं0 लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़**
7. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
8. वेबसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 आंबेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. उप/सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन/परीक्षा)।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव